28/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु। वादीगण स्वयं भी अनु।
इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उप नहीं। बार-2 आवाजें
लगाई गई लेकिन न्यायालय समय तक कोई उपस्थित नहीं।
अतः राजस्व वाद पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नेबर से
कम होकर दफ्तिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.18 15:30:48 IST
Reason: SelfAttested